



पीएमकेएसवाई को 1,920 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि के साथ बड़ा प्रोत्साहन

भारत में कृषि के भविष्य को सशक्त बनाना

7 अगस्त 2025

प्रमुख बिंदु

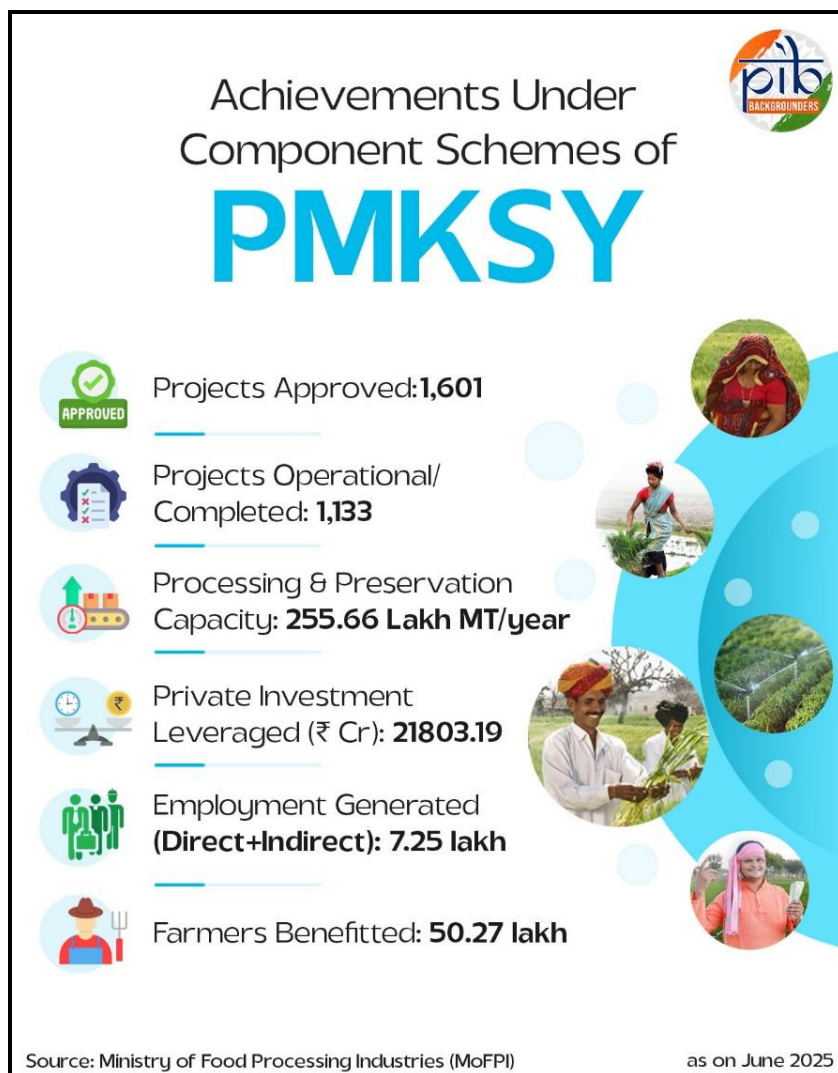
- 15वें वित्त आयोग के तहत पीएमकेएसवाई को 2021-26 की अवधि के लिए 6,520 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- पीएमकेएसवाई खाद्य प्रसंस्करण को आधुनिक बनाने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।
- शुरुआत के बाद से 1,601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है; 1,133 पहले से ही जारी है।

परिचय

किसानों की कड़ी मेहनत भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार का लक्ष्य उनकी आय दोगुनी करना और खेत से बाजार तक के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है। इस प्रयास में, खाद्य प्रसंस्करण भारत में एक उभरते हुए क्षेत्र के रूप में सामने आया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास को समर्थन और गति प्रदान करने के लिए, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकार ने हाल ही में 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के तहत पीएमकेएसवाई के लिए कुल ₹6,520 करोड़ के परिच्यय को मंजूरी दी है।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत परिवर्तनकारी परिणाम

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के शुभारंभ के बाद से, जून 2025 तक इसके विभिन्न घटकों के अंतर्गत कुल 1,601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। इनमें से 1133 परियोजनाएं अब चालू/पूरी हो चुकी हैं, जिससे प्रति वर्ष 255.66 लाख मीट्रिक टन (एमटी) की प्रसंस्करण और संरक्षण क्षमता का सृजन हो रहा है। पूरी तरह से पूर्ण होने पर, इन परियोजनाओं से ₹21803.19 करोड़ का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है, जिससे लगभग 50.27 लाख किसानों को लाभ होगा और इसके परिणामस्वरूप 7.25 लाख से अधिक प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।



पीएमकेएसवाई ने किसानों के उत्पादों के मूल्य प्राप्ति बढ़ाने में मदद की है और फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को काफी हद तक कम किया है।

पीएमकेएसवाई: शुभारंभ से विस्तार तक

पीएमकेएसवाई को पहले संपदा योजना (कृषि-समुद्री प्रसंस्करण एवं कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर विकास योजना) के नाम से जाना जाता था। इसे मई 2017 में मंजूरी मिली और 23 अगस्त 2017 को इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कर दिया गया। यह व्यापक योजना 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप 2016 से 2020 की अवधि के लिए बनाई गई थी। इस योजना को समर्थन देने के लिए, सरकार ने ₹6,000 करोड़ आवंटित किए, जिसका लक्ष्य ₹31,400 करोड़ का कुल निवेश आकर्षित करना था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग चक्र (2021-22 से 2025-26) के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के लिए कुल ₹6,520 करोड़ के परिव्यय को मंजूरी दे दी है। इसमें ₹1,920 करोड़ की अतिरिक्त राशि भी शामिल है।

- **₹1,000 करोड़:**

एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) के अंतर्गत 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयों के लिए।

फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एस्योरेस इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएसक्यूएआई) के अंतर्गत 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त फूड टेस्टिंग लैब्स (एफटीएल) के लिए।

- **₹920 करोड़:**

विभिन्न चालू पीएमकेएसवाई घटक योजनाओं के लिए।

- सरकार ने बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए वित्तीय निवेश बढ़ाया है।

- दुर्गम क्षेत्रों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।



पीएमकेएसवाई पर एक नजर

पीएम किसान संपदा योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण हेतु एक संपूर्ण पैकेज है। यह खेत से लेकर खुदरा दुकान तक एक सुचारू और कुशल आपूर्ति श्रृंखला बनाने पर केंद्रित है। यह योजना किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य दिलाने, बर्बादी कम करने और किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद करती है। यह विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन भी करती है, खाद्य प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाती है और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देती है।

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र वर्तमान में कुल सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) का लगभग 1.39 प्रतिशत योगदान देता है और 2023-24 में (2011-12 के मूल्यों पर) विनिर्माण और कृषि क्षेत्रों में

जीवीए में क्रमशः 7.93 प्रतिशत और 9.46 प्रतिशत का योगदान देगा। इस क्षेत्र का जीवीए 2013-14 के ₹1.30 लाख करोड़ से बढ़कर 2023-24 में ₹2.24 लाख करोड़ हो गया है (पहले संशोधित अनुमानों के अनुसार)।

पीएम किसान सम्पदा योजना के उद्देश्य

- खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण - मेगा फूड पार्क/क्लस्टर और व्यक्तिगत इकाइयां
- प्रभावी पश्चगामी और अग्रगामी संपर्क बनाना - किसानों, प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों को जोड़ना
- पीएमकेएसवाई के तहत कार्यान्वित योजनाओं में नाशवान वस्तुओं के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला बुनियादी ढांचा तैयार करना

पीएमकेएसवाई के तहत कार्यान्वित योजनाएं

खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने और कृषि अपशिष्ट को कम करने के लिए, प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना के तहत कई लक्षित योजनाओं को मंजूरी दी गई है। इन योजनाओं का उद्देश्य आधुनिक बुनियादी ढाँचे का निर्माण, मूल्य संवर्धन और किसानों के लिए बेहतर लाभ सुनिश्चित करना है।

- **इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर:** फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने और मूल्य संवर्धन सुनिश्चित करने के लिए खेत से बाजार तक निर्बाध शीत श्रृंखलाएं बनाना।
- **खाद्य प्रसंस्करण/संरक्षण क्षमता का सृजन/विस्तार (इकाई योजना):** प्रसंस्करण स्तर बढ़ाने, शेल्फ लाइफ में सुधार करने और कृषि उपज की बर्बादी को कम करने के लिए नई और मौजूदा इकाइयों को समर्थन देना।
- **कृषि प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए बुनियादी ढांचा:** उत्पादन क्षेत्रों के निकट सम्पूर्ण अवसंरचना और किसान-बाजार संपर्क के साथ प्रसंस्करण सुविधाएं विकसित करना।

- **फूड सेफ्टी एंड क्वालिटी एस्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर:** गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने तथा घरेलू एवं वैश्विक खाद्य सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित करना।
- **मानव संसाधन और संस्थान:** खाद्य प्रसंस्करण में नवाचार, पैकेजिंग, खाद्य सुरक्षा और मानकीकरण को समर्थन देने के लिए अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देना।

Schemes Under PM Kisan Sampada Yojana






Integrated Cold Chain and Value Addition Infrastructure



Creation/ Expansion of Food Processing/ Preservation Capacities (Unit Scheme)



Infrastructure for Agro-processing Clusters



Food Safety and Quality Assurance Infrastructure



Human Resources and Institutions

Source: Ministry of Food Processing Industries

ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)

नवंबर 2018 में पीएमकेएसवाई में ₹500 करोड़ के बजट के साथ ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी) नामक एक अतिरिक्त योजना जोड़ी गई। शुरुआत में इसका उद्देश्य परिवहन और भंडारण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके टमाटर, प्याज और आलू (टीओपी) की कीमतों को स्थिर रखना था। 2020-21 में, आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत, यह सहायता सभी अधिसूचित फलों और सब्जियों (जिन्हें टोटल कहा जाता है) तक बढ़ा दी गई। बाद में, 2021-22 में, ओजी का दायरा बढ़ाकर 22 जल्दी खराब होने वाले उत्पादों को इसमें शामिल कर दिया गया।

22 जल्दी खराब होने वाले उत्पाद शामिल

- **10 फल:** आम, केला, सेब, अनानास, संतरा, अंगूर, आंवला, अनार, अमरूद, लीची
- **11 सब्जियां:** टमाटर, प्याज, आलू, हरी मटर, गाजर, फूलगोभी, बीन्स, भिंडी, लहसुन, अदरक, और विभिन्न प्रकार की लौकी (जैसे लौकी, करेला, तुरई/स्पंज लौकी, परवल और ऐश लौकी)
- **1 समुद्री उत्पाद:** झींगा

इस विस्तार से बेहतर भंडारण को बढ़ावा मिला, बर्बादी कम हुई और प्रसंस्करण एवं निर्यात के अवसरों के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि हुई।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण घटक बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाई है। यह एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (आईसीसीवीएआई) योजना का एक हिस्सा है। इन इकाइयों में कोल्ड स्टोरेज, ग्रेडिंग, छंटाई और विकिरणित खाद्य पदार्थों के परिवहन के लिए प्रशीतित वैन जैसी सुविधाएं शामिल हैं।

इस योजना के अंतर्गत अब तक 16 खाद्य विकिरण परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इनमें से 9 पूरी हो चुकी हैं या चालू हैं, जबकि 7 अभी भी कार्यान्वयन के अधीन हैं।

प्रस्तावित 50 बहु-उत्पाद खाद्य विकिरण इकाइयां, उत्पाद के प्रकार के आधार पर प्रति वर्ष 20-30 लाख मीट्रिक टन की संरक्षण क्षमता जोड़कर खाद्य अपव्यय को कम करने में मदद करेंगी।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एक अन्य महत्वपूर्ण पहल फूड सिक्योरिटी एंड क्वालिटी एस्योरेंस इंफ्रास्ट्रक्चर (एफएसक्यूआई) घटक के माध्यम से खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना है। ये प्रयोगशालाएं खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों और नियामक प्राधिकरणों से प्राप्त नमूनों की जांच के लिए स्थापित की जा रही हैं, जिससे परिवहन में देरी को कम करके परीक्षण समय को कम करने में मदद मिलेगी। इससे समय पर गुणवत्ता जांच में मदद मिलती है और घरेलू एवं अंतरराष्ट्रीय खाद्य मानकों का अनुपालन सुनिश्चित होता है, जो निर्यात और उपभोक्ता सुरक्षा के लिए आवश्यक है।

इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत, खाद्य परीक्षण पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत करने और विश्वसनीय परीक्षण सुविधाओं तक पहुंच में सुधार के लिए निजी क्षेत्र में 100 एनएबीएल-मान्यता प्राप्त खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की जा रही हैं।

निष्कर्ष

फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान, प्रसंस्करण के निम्न स्तर और किसानों की कम आय जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए, सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य एक मजबूत और आधुनिक कृषि-खाद्य प्रणाली का निर्माण करना है। यह मेगा फूड पार्क, कोल्ड चेन और कृषि-प्रसंस्करण क्लस्टर जैसे बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देती है ताकि बर्बादी कम हो और मूल्यवर्धन को बढ़ावा मिले। पीएमकेएसवाई किसानों को सीधे बाजारों से जुड़ने और बेहतर दाम पाने में मदद करती है। अधिक निवेश, रोजगार सृजन और बेहतर आपूर्ति श्रृंखलाओं के साथ, यह योजना न केवल आज की समस्याओं का समाधान कर रही है, बल्कि भारतीय कृषि के भविष्य को भी सुरक्षित कर रही है।

संदर्भ

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

<https://www.mofpi.gov.in/en/Schemes/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2150644>

<https://www.india.gov.in/spotlight/pradhan-mantri-kisan-sampada-yojana>

<https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1500439>

पीके/केसी/वीएस